

जून 2018

PRS कैप्सूल जून 2018

PRS की प्रमुख हाइलाइट्स

- भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री
- दवाला एवं दवालयिपन (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूर
- सीमा पार ऋणशोधन क्षमता
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2018
- कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, 2018
- शालींग का 100वीं स्मार्ट सर्टि के रूप में चयन
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति
- चीनी उद्योग में संकट
- नए राष्ट्रीय बायोगैस और कार्बनिक खाद कार्यक्रम के लिये दिशानिर्देश
- ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-3
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वणिगन कंपनियों के लिये इथेनॉल मूल्य निर्धारण में संशोधन
- डिजिटल मशीन

भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

भारतीय रज़िर्व बैंक ने भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने की आवश्यकता और संभावना का विश्लेषण करने के लिये वाई. एम. देवस्थली की अध्यक्षता में एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने नमिनलखिति रिपोर्ट सौंपी-

ऋण संबंधी सूचनाओं की मौजूदा उपलब्धता

वर्तमान में भारत में विभिन्न संस्थाएँ क्रेडिट डाटा सर करती हैं। जैसे कि

- नज़ी क्षेत्र की चार क्रेडिट सूचना कंपनियाँ-
- ट्रांसयूनियन सबिलि
- ईकवफ़िक्स
- एक्सपीरियन
- क्रेफि हाई मार्क

ये सभी संस्थाएँ कर्ज़दारों की ऋण संबंधी सूचनाओं को संग्रह करती हैं।

- भारतीय रज़िर्व बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाएँ- सेंटरल रपिऑजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) तथा बेसकि सटैटिस्टिकल रटिर्न-1 (BSR-1)।
- CRILC में ऐसे सभी कर्ज़दारों की क्रेडिट संबंधी सूचनाएँ होती हैं जिनका ऋण पाँच करोड़ रुपए से अधिक का है। BSR-1 सभी ऋणों का क्षेत्र आधारित विवरण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रणालियाँ भी हैं जो वशिष्ट ऋण संबंधी सूचनाओं को दर्ज करती हैं जैसे दवाला एवं दवालयिपन संहिता, 2016 के अंतर्गत पंजीकृत इनफार्मेशन यूटीलिटीज़, इसमें ऋण देनदारियों जैसी वित्तीय सूचनाओं और बैलेंस शीट संबंधी विवरण को स्टोर किया जाता है।

मौजूदा संरचनाओं की चुनौतियाँ

टास्क फोर्स ने देश में ऋण सूचनाओं से जुड़ी मौजूदा संरचनाओं में अनेक प्रकार की कमियों का पता लगाया है जो नमिनलखिति हैं:

- स्टोर किया गया डेटा वसित नहीं है और वभिन्न कंपनियों के बीच बँटा हुआ है, जैसे बैंक से कर्ज़, कॉर्पोरेट्स में आपसी उधारियाँ, वदेशी उधारियाँ आदि एक रपिजिटरी में उपलब्ध नहीं हैं।
- कर्ज़दार द्वारा स्वयं किये जाने वाले खुलासों पर निर्भरता।
- डेटा को दोबारा पुष्ट (Cross Validate) करना।
- सूचनाओं के सभी स्रोतों के बीच समय अंतराल (time lags) और वसिंगतियाँ।
- ऋण संस्थाओं पर सूचना दर्ज कराने का अत्यधिक दबाव, क्योंकि उन्हें अलग-अलग संस्थाओं में सूचनाएँ दर्ज करानी पड़ती है।

मौजूदा संरचना के परिणाम

मौजूदा संरचनाओं में सूचनाएँ अलग-अलग खंडों में दर्ज कराई जाती हैं तथा उनमें एकरूपता भी नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप ऋण बाज़ार की कार्यक्षमता पर नमिन्लखित प्रभाव पड़ते हैं:

- ऋण संस्थानों के पास सभी कर्ज़दारों के बारे में पूरी सूचना नहीं होती, इसलिये सभी कर्ज़दारों को एकसमान ब्याज चुकाना पड़ता है, भले ही उनकी जोखिम या क्रेडिट रेटिंग कुछ भी हो।
- ऋणदाताओं द्वारा उन ग्राहकों को कर्ज़ देने में आशंका की स्थिति बनी रहती है जिन्होंने पूर्व में कोई चूक या अपराध किया हो पर इसके बारे में ऋणदाताओं के पास कोई जानकारी उपलब्ध न हो। इस प्रकार प्रकार ऋणदाताओं को अधिक बड़े ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- इससे बाज़ार के कुछ उपवर्गों को ऋण मिलने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उदहारण के लिये छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना पहले से ही जोखिमपूर्ण मान लिया जाता है और अक्सर ऋण संबंधी वविरण पूर्ण न हो पाने के कारण उन्हें जरूरत के समय ऋण नहीं मिल पता है।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री उधारकर्त्ताओं की क्रेडिट जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस है जो सभी उधार और क्रेडिट नरिणय लेने वाले संस्थानों के लिये सुलभ होता है। आम तौर पर इस रजिस्ट्री को देश के केंद्रीय बैंक जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है और ऋणदाताओं और/या उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋण वविरण की रपिर्ट करिजिस्ट्री कानूनन अनविर्य होता है।

ऋण बाज़ार में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिये एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री तैयार की जानी चाहिये जिसके लिये आवश्यक है कि:

- उसे उपयुक्त कानूनी ढाँचे का समर्थन मिले।
- उसमें सभी प्रकार के ऋणों की सूचना स्टोर होनी चाहिये चाहे ऋण की राशि कोई भी हो।
- उसमें ऐसी सूचनाएँ भी स्टोर होनी चाहिये जिन्हें वर्तमान में क्रेडिट इनफार्मेशन सिस्टम में रकिर्ड नहीं किया जाता। जैसे- बाहरी उधारियों से संबंधित डाटा।
- उसमें सप्लीमेंटरी क्रेडिट डाटा स्टोर होना चाहिये। जैसे- पूर्व में किये गए यूटिलिटी बिल के भुगतान, इससे ऐसे लोगों को भी ऋण का लाभ मिल सकेगा जिन्होंने पहले कोई ऋण न लिया हो।
- उसे सभी प्रकार की सूचनाओं की सुरक्षा और नजिता सुनिश्चित करनी चाहिये।

दवाला एवं दवालयिपन संहिता (दूसरा संशोधन) वधियक, 2018

यह वधियक दवाला एवं दवालयिपन संहिता, 2016 में संशोधन करता है। संहिता कंपनियों और व्यक्तियों के बीच ऋणशोधन क्षमता का समाधान करने के लिये एक समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है।

वधियक की प्रमुख वशिषताएँ

रयिल एस्टेट एलॉटी

वधियक स्पष्ट करता है करियिल एस्टेट परयोजनाओं में आवंटित या एलॉटी (Allottee) को वत्तीय ऋणदाता (Financial Creditor) माना जाएगा। एलॉटी में ऐसे सभी लोग शामिल हैं जिन्हें प्लाट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग एलॉट की गई है, बेची गई है या प्रमोटर (रयिल एस्टेट डेवलपर या डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा ट्रांसफर की गई है।

वत्तीय लेनदार (Financial Creditors)

संहिता स्पष्ट करती है वत्तीय लेनदार (Financial Creditors) ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका वत्तीय ऋण बकाया होता है। इस ऋण में ऐसी कोई भी राशि शामिल हो सकती है जिसे वाणज्यिक स्तर पर उधार लेकर जमा किया गया है। वत्तीय लेनदार, लेनदारों की समिति का एक हस्सा है, जो समाधान से संबंधित मुख्य नरिणय लेने के लिये जमिेदार है।

वत्तीय लेनदारों के प्रतनिधि

- वधियक स्पष्ट करता है कि कुछ मामलों में (जैसे- वत्तीय लेनदारों के समूह पर बकाया), वत्तीय लेनदारों की समिति में वत्तीय लेनदार का प्रतनिधित्व अधिकृत प्रतनिधियों द्वारा किया जाएगा।

- ये प्रतनिधि लेनदारों से मिलने वाले नरिदेश के अनुसार लेनदारों के समूह में वोट देंगे ।

वत्तितीय लेनदार समत्तिकी वोटगि सीमा

संहति यह स्पष्ट करती है कवित्तीय लेनदार समूह अरुथात कमेटी ऑफ करेडिटर्स अपने फैसले वत्तितीय लेनदारों के कम-से-कम 75% बहुमत के साथ लेगी । लेकिन संशोधति वधियक इस सीमा को कम करके 51% करता है । समत्तिके कुछ फैसलों के लयि वोटगि की सीमा 75% से कम करके 66% की गई है, इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

1. रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल की नयुक्त और उसका रपिलेसमेंट
2. रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूरी ।

सूक्ष्म, लघु और माध्यम दर्जे के उपक्रमों (MSMEs) पर संहति का लागू होना

संशोधति वधियक के अनुसार, MSMEs के रेज़ोल्यूशन के लयि आवेदन करने वाले वयक्तयिों पर NPAs और गारंटों से संबंधति अयोग्यता के मानदंड लागू नहीं होंगे । संहति के प्रावधानों को MSMEs पर लागू करते समय केंद्र सरकार उनमें परवर्तन कर सकती है या उन्हें हटा सकती है ।

कॉर्पोरेट रेज़ोल्यूशन

वधियक प्रावधान करता है कदिवालियापन रेज़ोल्यूशन प्रकरयिा को शुरू करने वाले कॉर्पोरेट आवेदक को स्पेशल रेज़ोल्यूशन सौपना होगा । इस स्पेशल रेज़ोल्यूशन को कॉर्पोरेट देनदारों के कम-से-कम तीन-चौथाई पार्टनर्स द्वारा मंजूर कयिा जाना चाहयि ।

सौंपे गए आवेदन को वापस लेना

प्रस्तावति वधियक के अंतर्गत रेज़ोल्यूशन आवेदक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (NCLT) में दायर कयि गए कसिी भी आवेदन को वापस ले सकता है । वापसी के इस प्रस्ताव को लेनदारों के समूह के 90% वोट द्वारा मंजूर कयिा जाना चाहयि ।

रेज़ोल्यूशन प्लान को लागू करना

अध्यादेश स्पष्ट करता है कNCLT को कसिी भी रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूर करने से पहले यह सुनश्चिति करना चाहयि कउसे प्रभावी तरीके से लागू कयिा जा सकता है । एक बार प्लान के मंजूर हो जाने के बाद रेज़ोल्यूशन आवेदक को एक वर्ष के अंदर सभी आवश्यक मंजूरयिों हासलि करनी होंगी जो कानून के हसिाब से ज़रूरी हों । यह वधियक इसमें भी एक शर्त जोड़ता है कअगर रेज़ोल्यूशन प्लान में उद्यम के अधग्रहण या मर्जर का कोई प्रावधान है तो रेज़ोल्यूशन आवेदक को भारतीय प्रतसिर्द्धा आयोग से इस संबंध में मंजूरी हासलि करनी होगी । यह मंजूरी लेनदारों की समत्तिद्वारा रेज़ोल्यूशन प्लान मंजूर करने से पहले प्राप्त करनी होगी ।

सीमा पार दविलयापन (Cross Border Insolvency)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सीमा पार शोधन अक्षमता और दविलयापन संहति, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016-IBC) के तहत मसौदा मानदंड जारी कयिा है ।

- मानदंड सीमा पार दविलयापन, 1997 के UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारति है जो सीमा पार दविलयापन के लयि एक समान तंत्र प्रदान करता है ।
- IBC के तहत केंद्र सरकार को सीमा पार दविला से संबंधति कारयवाही शुरू करने के लयि वभिन्नि देशों के साथ समझौता करने की आवश्यकता है । इसके अलावा, अन्य देशों में स्थति संपत्तयिों तक पहुँच बनाने के लयि एक अनुरोध पत्र जारी कयिा गया है ।

ड्राफ्ट मानदंडों की मुख्य वशिषताएँ

व्यावहारकिता (Applicability)- ड्राफ्ट मानदंड उन मामलों में लागू होंगे जहाँ:

- वदिशी न्यायालय या वदिशी दविलयापन पेशेवर द्वारा भारत में सहायता मांगी जाती है, या
- IBC के तहत कारयवाही के संबंध में एक अन्य देश में सहायता मांगी जाती है, या
- एक अन्य देश लेनदारों के संबंध में IBC के तहत कारयवाही शुरू करना चाहता है या उसमें भाग लेना चाहता है, या
- आईबीसी के तहत कारयवाही तथा वदिशी कारयवाही एक साथ चल रही है ।

वदिशी कारयवाही :

वदिशी कारयवाही का तात्पर्य एक अन्य देश में न्यायकि या प्रशासनकि दविलयापन कारयवाही से है, जहाँ मान्यता या ऋण मुक्तलि(liquidation) के उद्देश्य

के लिये कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति विदेशी न्यायालय के नियंत्रण या पर्यवेक्षण में होती है। भारत के साथ सीमा (border) पार दवािलिया कार्यवाही शुरू करने के लिये एक विदेशी प्रतिनिधि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) में आवेदन कर सकता है।

विदेशी अदालतों के साथ सहयोग: केंद्र सरकार, एनसीएलटी के परामर्श से एनसीएलटी और विदेशी अदालतों के बीच सीमा पार दवािलियापन से संबंधित मामलों में संवाद और सहयोग के लिये दशान्तरिदेशों को अधिसूचित करेगी।

बांध सुरक्षा अधियक 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून, 2018 को बांध सुरक्षा अधियक (Dam Safety Bill), 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस अधियक का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एकसमान देशव्यापी प्रक्रियाएँ वकिसति करने में सहायता देना है।

- बांध सुरक्षा अधियक, 2018 के प्रावधानों से केंद्र और राज्यों में बांध सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्थाओं को शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इससे पूरे देश में मानकीकरण एवं बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- अधियक में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमिति नरीक्षण, आपात कार्य-योजना, वसितृत सुरक्षा के लिये पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष, इंस्ट्रुमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और वफिलता के लिये दंड का प्रावधान भी है।

बांध सुरक्षा अधियक की प्रमुख वशिषताएँ

बांध सुरक्षा अधियक, 2018 के अंतर्गत बांध सुरक्षा के लिये संस्थागत ढाँचे का प्रावधान है। इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:

A . बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (National Committee on Dam Safety -NCDS)

- अधियक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है। यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को वकिसति करेगी और आवश्यक नियमों की सफिराशि करेगी।

B. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority - NDSA)

- अधियक नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा के लिये नीति, दशान्तरिदेशों तथा मानकों को लागू करने का दायित्व नभिएगा।
- यह प्राधिकरण बांध सुरक्षा संबंधी डेटा और व्यवहारों के मानकीकरण के लिये राज्य बांध सुरक्षा संगठनों तथा बांधों के मालिकों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।
- प्राधिकरण राज्यों तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
- प्राधिकरण देश के सभी बांधों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तथा प्रमुख बांध वफिलताओं का रकिॉर्ड रखेगा।
- प्राधिकरण किसी प्रमुख बांध की वफिलता के कारणों की जाँच करेगा।
- प्राधिकरण नियमिति नरीक्षण तथा बांधों की वसितृत जाँच के लिये मानक व दशान्तरिदेशों, नियंत्रण सूचियों को प्रकाशित और अद्यतन करेगा।
- प्राधिकरण उन संगठनों की मान्यता या प्रत्यायन का रकिॉर्ड रखेगा, जनिहँ जाँच, नए बांधों की डिजाइन और निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है।
- प्राधिकरण दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य के बांध के स्वामी के बीच वविवाद का उचित समाधान करेगा।
- कुछ मामलों में जैसे- एक राज्य का बांध दूसरे राज्य के भू-भाग में आता है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी नभिएगा और इस तरह अंतर-राज्यीय वविवादों के संभावित कारणों को दूर करेगा।

C . बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (State Committee on Dam Safety - SCDS)

- अधियक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।
- यह समिति राज्य में नरिदषित सभी बांधों की उचित नगिरानी, नरीक्षण, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।
- समिति यह सुनिश्चित करेगी की बांध सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापति करने का प्रावधान है।
- यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। इन अधिकारियों में प्राथमिक रूप से बांध डिजाइन, हाईड्रो-मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाईड्रोलॉजी, भू-तकनीकी जाँच और बांध पुनर्वास क्षेत्र के अधिकारी होंगे।

D. राज्य बांध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organizations -SDSO)

- अधियक में नरिदषित संख्या में बांध वाले प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन स्थापति करने का प्रावधान है। यह संगठन फील्ड बांध सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा।

कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018

कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018 को सरकार ने फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित कावेरी जल वविवाद टरबियुनल के फैसले को लागू करने के लिये प्रतपिदति किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक के हसिसे में 14.75 टीएमसी जल की वृद्धि की तथा तमलिनाडु के हसिसे में इतने ही जल की

कमी की। इस योजना को लागू करने के लिये सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल वनियमन समिति गठित की है।

महत्त्वपूर्ण वशिषताएँ

CWMA की संरचना : कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का एक अध्यक्ष होगा और इसमें दो पूर्णकालिक सदस्य, दो-अंशकालिक सदस्य जो क्रमशः जल संसाधन और कृषि मंत्रालय के सरकारी प्रतिनिधि होंगे तथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी (प्रत्येक से एक) से कुल चार अंशकालिक सदस्य होंगे।

CWMA के कार्य :

- कावेरी के जल का भंडारण, वभाजन, वनियमन और नियंत्रण।
- जलाशयों के संचालन और जल प्रवाह को वनियमन करने का पर्यवेक्षण।
- कर्नाटक द्वारा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अंतर-राज्य संपर्क बटु पर जल के प्रवाह को वनियमन करना।

CWRC की संरचना : कावेरी जल वनियमन समिति (CWRC) का प्रमुख इसका अध्यक्ष होगा और इसमें आठ अन्य सदस्य होंगे जसमें तीन राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

CWRC के कार्य

- कावेरी के आठ जलाशयों में दैनिक जल स्तर, प्रवाह और भंडारण की स्थितिकी जानकारी संग्रहीत करना।
- सीडब्ल्यूएमए द्वारा निर्देशित जलाशयों से मासिक आधार पर जल के 10 दविसीय प्रवाह सुनिश्चित करना।
- जल के बारे में मौसमी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और इसे अन्य चीजों के साथ CWMA में जमा करना।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक

नीति आयोग द्वारा जारी 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' के मुताबिक, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट की स्थितिकी सामना कर रहा है और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय देश में 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण हर साल करीब दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में जल की मांग आपूर्तिके मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6% की कमी होने का अनुमान है। इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के प्रमुख बटु

- रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन की है। इस रिपोर्ट ने प्रतिबिंबित किया है कि जिन राज्यों ने पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया है, उन्होंने उच्च कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की है।
- मध्य प्रदेश में 22-23 फीसदी की वृद्धि दर है, जबकि गुजरात में 18 फीसदी की वृद्धि दर है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर विकास किया है, साथ ही प्रवास को कम किया है और शहरी आधारभूत संरचना पर दबाव कम किया है।
- जल प्रबंधन के मानकों पर राज्यवार प्रदर्शन रिपोर्ट, 2016-2017 के संदर्भ में गुजरात पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ दूषित पानी के शोधन की क्षमता वकिसति ही नहीं की गई है। भू-जल के इस्तेमाल का नियमन भी इन राज्यों में नहीं है। वहीं, ग्रामीण बसावट में साफ पेयजल की आपूर्ति लगभग नगण्य है।
- MoWR के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परदृश्य में 2050 तक पानी की आवश्यकता 1,180 BCM होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में उपलब्धता मात्र 695 BCM है।
- देश में प्रस्तावित जल की मांग 1137 BCM की तुलना में अभी भी काफी कम है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे जल संसाधनों और उनके उपयोग के लिये हमारी समझ को बढ़ाने और ऐसी जगहों पर हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ पानी को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके।
- सूचकांक (2015-16 स्तर से अधिक) में वृद्धिशील परिवर्तन के मामले में, राजस्थान अन्य सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है।
- आयोग ने भविष्य में इन रैंकों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया है।
- सूचकांक में 28 विभिन्न संकेतकों के साथ नौ व्यापक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भू-जल के विभिन्न पहलुओं, जल नकियों की बहाली, संचाई, कृषि प्रथाओं, पेयजल, नीति और शासन शामिल हैं।
- वल्लिषण के पर्योजन के लिये विभिन्न जलवदियुत स्थितियों के कारण राज्यों को दो वशिष समूहों - 'उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों' तथा 'अन्य राज्यों' में बाँटा गया था।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिये उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा, जससे उन्हें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के लिये राष्ट्रीय रणनीति

- नीति आयोग ने आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के लिये राष्ट्रीय रणनीति पर एक परिचर्या पत्र जारी किया है।

- आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मशीनों की ज्ञानात्मक कार्यों जैसे- सोचना, समझना, समस्या नविवरण और नरिणय लेने की क्षमता को संदर्भित करता है।
- परिचरचा पत्र इस बात पर केंद्रति है कभारत सरकार की वकिस प्राथमकताओं के अनुरूप वकिस को सुनश्चिति करने के लयि AI का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। यह (i) कृषि (ii) शक्ति (iii) स्वास्थय देखभाल (iv) स्मार्ट शहरों और बुनयिदी ढाँचा (v) स्मार्ट गतशीलता तथा परिवहन के लयि AI समाधानों को अपनाने पर ज़ोर देता है।

चनिहति मुख्य चुनौतयिँ

- अनुसंधान और एआई के अनुप्रयोग में वशिषज्जता की कमी।
- सफलता पूर्वक अपनाने के लयि उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण डेटा पारस्थितिकि तंत्र की कमी।
- एआई को अपनाने के लयि उच्च संसाधन लागत और कम जागरूकता।
- औपचारिक गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिकता से संबंधति नयिमों की कमी।
- एआई को अपनाने और उसके अनुप्रयोग के लयि सहयोगी दृष्टिकोण की अनुपस्थति।

सफिरशिँ

इन चुनौतयिँ का समाधान करने के लयि इस परिचरचा पत्र में सफिरशिँ की एक शृंखला प्रदान की गई है, जसिमें शामिल हैं:

- अनुसंधान और कौशल वकिस : यह AI में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में अकादमिक और अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की सफिरशि करता है। यह अभनिव मार्गों को बढ़ावा देगा और कार्यबल की सकलिंग तथा रीसकलिंग में सहायता करेगा। इसे रोज़गार के पैटर्न को बदलने तथा रोज़गार के लयि बाज़ार और उदयमशील क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लागू कया जाएगा।
- बाज़ार आधारति स्वीकृति : यह सरकार को राष्ट्रीय AI मार्केट प्लेस के नरिमाण की सुविधा प्रदान करने की सफिरशि करता है। यह अनुकूल बाज़ार तैयार करने के लयि नमिनलखिति बढिओं पर ध्यान केंद्रति करेगा:
- डेटा संग्रहण तथा एकत्रीकरण।
- डेटा व्याख्या (annotation) या अंतरदृष्टि।
- क्षेत्र-वशिषिट अनुप्रयोगों के लयि उपयोग योग्य मॉडल।
- इस मॉडल का उपयोग करके एआई को अपनाना होगा जहाँ सरकार मांग और साझेदारी में सामंजस्य बनाकर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
- नयिामकीय चुनौतयिँ : यह मज़बूत कानूनी ढाँचे को तैयार कर सरकार से नयिामकीय चुनौतयिँ का समाधान करने की सफिरशि करता है। इसमें गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिकता पर डेटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा और क्षेत्र-वशिषिट नयिमों से संबंधति तंत्र शामिल होंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं को अपनाने में मदद मलिंगी।

चीनी (sugar) के क्षेत्र में संकट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी मलिँ की तरलता में सुधार के लयि कई उपायों को मंजूरी दी है और किसानों को उनके गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान करने के लयि कई कदम उठाए हैं।

- **बफर स्टॉक का नरिमाण** : खाद्य और सार्वजनिक वतिरण वभिग ने 1 जुलाई, 2018 से चीनी मलिँ द्वारा 30 लाख मीटरकि टन चीनी के बफर स्टॉक के नरिमाण और रखरखाव के लयि एक योजना को अधसूचिति कया है। इस योजना के तहत प्रतपूरति (अदायगी) त्रैमासकि आधार पर की जाएगी, जसि चीनी मलिँ की ओर से किसानों के गन्ना मूल्य बकाए की राशों को सीधे उनके खाते में जमा कया जाएगा।
- **चीनी मूल्य (नयितरण) आदेश, 2018** : केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधनयिम, 1955 के तहत चीनी मूल्य (नयितरण) आदेश, 2018 को अधसूचिति कया है। यह आदेश परषिकृत (सफेद) चीनी की न्यूनतम बकिरी मूल्य को तय करता है जसिसे कम मूल्य पर कोई भी उत्पादक घरेलू बाज़ार में सफेद चीनी न तो बेच सकता है, न ही वतिरति कर सकता है। परषिकृत चीनी का न्यूनतम बकिरी मूल्य गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य और परषिकृत चीनी की न्यूनतम रूपांतरण लागत (conversion cost) पर आधारति होगा। खाद्य और सार्वजनिक वतिरण वभिग ने चीनी की दर को 29 रुपए प्रति किलोग्राम तय कया है।
- **चीनी मलिँ की बढती क्षमता** : सरकार चीनी मलिँ से जुड़ी मौजूदा डसिटिलिरीज़ की क्षमता को नमिनलखिति तरीकों से अपग्रेड करेगी: (i) भसमीकरण (incineration) बाँयलर स्थापति करना (ii) चीनी मलिँ में नई डसिटिलिरीज़ स्थापति करना। सरकार पाँच साल की अवधि में 1,332 करोड़ रुपए की ब्याज सबसिडी प्रदान करेगी।

नए राष्ट्रीय बायोगैस और कार्बनकि खाद कार्यक्रम के लयि दशिा-नरिदेश

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नए राष्ट्रीय बायोगैस और कार्बनकि खाद कार्यक्रम के लयि दशिा-नरिदेश जारी कयि हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी परिवारों हेतु बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लयि शुरू की गई है। एक बायोगैस संयंत्र कार्बनकि पदार्थों के उपयोग यथा-मवेशयिँ का गोबर और अन्य अपघटन योग्य (biodegradable) सामग्रयिँ जैसे कखित्तों, बागानों तथा कचिन के बायोमास से बायोगैस उत्पन्न करता है।

मुख्य दशिा-नरिदेश

- खाना पकाने के लयि स्वच्छ ईंधन प्रदान करना तथा किसानों और परिवारों की अन्य छोटी-मोटी बज़िली की ज़रूरतों को पूरा करना।
- महिलाओं के कठिन परिश्रम के कयों को आसान बनाना जो कतिथा उन्हें अन्य आजीविका गतविधयिँ के लयि समय बचाने में मदद करेगा।

- गोबर बायोगैस संयंत्रों के साथ सैनटिरी शौचालयों को जोड़कर ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता में सुधार करना।
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोककर जलवायु परिवर्तन के कारकों में कमी लाने में मदद करना।
- भौतिक लक्ष्य : 2017-18 के लिये 65,180 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2018-19 के लिये यह लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख संयंत्र कर दिया गया है।
- केंद्रीय सहायता : दश-नरिदेश में केंद्रीय सहायता का वितरण भी प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य (जिसमें संयंत्र स्थित है) द्वारा संयंत्र के आकार के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। संयंत्र की स्थापना के बाद यह सहायता राशालाभार्थी खातों में सीधे वितरित की जाएगी।

ऑफ-ग्रिड और वकिंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम - चरण III

आर्थिक मामलों की कौनटि समतिने ऑफ-ग्रिड सलर फोटो वलटकि (PV) क्षमता हासलि करने के लयि ऑफ-ग्रिड और वकिंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण को लागू कयि जाने की स्वीकृति दे दी।

इस चरण के नमिनलखिति घटक होंगे-

- **सलर स्टरीट लाइट** : पूरे देश में तीन लाख सलर स्टरीट लाइट लगाए जाएंगे। उन क्षेत्रों पर वशिष ज़ोर दिया जाएगा जहाँ ग्रिड पावर, जैसे उत्तर-पूर्वी (NE) राज्यों और लेफ्ट वगि चरमपंथ (LWE) प्रभावति ज़िलों की सड़कों पर स्टरीट लाइट प्रणाली जैसी कोई सुविधा नहीं है।
- **स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्र** : 25 किलोवाट पीक (kWp) तक के आकार के सौर ऊर्जा संयंत्रों को उन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा जहाँ ग्रिड पावर नहीं पहुँच पाई है या अगर है भी तो वशिषसनीय नहीं है। ये संयंत्र स्कूलों, हॉस्टल, पंचायत, पुलिस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक सेवा संस्थानों को बजिली प्रदान करेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 100 मेगावाट होगी।
- **सलर स्टडी लैप** : पूर्वोत्तर राज्यों (NE) और LWE प्रभावति ज़िलों में 25 लाख सलर स्टडी लैप लगाए जाएंगे।
- **केंद्रीय सहायता** : तीनों घटकों की कुल लागत 1,895 करोड़ रुपए है। इनमें से 637 करोड़ रुपए केंद्रीय वतितीय सहायता के रूप में प्रदान कयि जाएंगे। सौर स्टरीट लाइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लयि ससिटम की बेंचमार्क लागत के 30% तक का वतितीय समर्थन प्रदान कयि जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों वाले संघ शासति प्रदेशों के लयि बेंचमार्क लागत का 90% तक प्रदान कयि जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपिणन कंपनयिों के लयि एथेनॉल मूल्य नरिधारण संशोधति

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समतिने एथेनॉल युक्त पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम (Ethanol Blended Petrol-EBP) चलाने के लयि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपिणन कंपनयिों द्वारा खरीद व्यवस्था बनाने तथा सार्वजनिक तेल कंपनयिों को सप्लाई के लयि एथेनॉल मूल्य की समीक्षा करने की मंजूरी दे दी है।

- वर्तमान में नरिमाण के तरीके के बावजूद एथेनॉल के लयि एक फ्लैट दर है।
- पेट्रोल के साथ एथेनॉल मशिण से वाहन से नकिलने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है और पेट्रोलियम का आयात बोझ कम हो जाता है।
- वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लयि 2003 में एथेनॉल युक्त पेट्रोल कार्यक्रम शुरू कयि गया था। हालाँकि, 2006 से तेल वपिणन कंपनयिों एथेनॉल के मूल्य नरिधारण मुद्दों के कारण आवश्यक मात्रा में एथेनॉल की खरीद करने में सक्षम नहीं थी। इसलयि सरकार दसिंबर 2014 से कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की कीमत प्रशासति कर रही है।
- यह संशोधन 1 दसिंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2019 के बीच एथेनॉल आपूर्ति अवधि के लयि वभिनिन स्रोतों से नरिमति एथेनॉल के लयि अलग-अलग दरों को मंजूरी देता है।

मुख्य परिवर्तन

- सी- भारी शीरा (C-heavy molasses) (सुगर प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त अंतिम उत्पाद) 43.70 रुपए प्रति लीटर होगा।
- बी- भारी शीरे (B-heavy molasses) से निकाले गए एथेनॉल (सुगर प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त मध्यवर्ती उत्पाद) तथा गन्ने का रस 47.49 रुपए प्रति लीटर होगा।
- चूकिएथेनॉल की कीमत गन्ना सत्र 2018-19 के लयि अनुमानति नषिपक्ष और लाभकारी मूल्य (FRP) पर आधारति है, इसलयि इसे केंद्र सरकार द्वारा घोषति वास्तविकि एफआरपी के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संशोधति कयि जाएगा।
- एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 के लयि एथेनॉल की कीमतों को शीरे तथा गन्ने के एफआरपी से प्राप्त चीनी के अनुसार मंत्रालय द्वारा संशोधति कयि जाएगा।

डजिधिन मशिण

इलेक्ट्रॉनिकि और सूचना प्रौद्योगिकि मंत्रालय ने डजिधिन मशिण में कुछ संशोधन जारी कयि। यह मशिण डजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत लागू कयि गया है और इसका उद्देश्य 2017-18 में 2,500 करोड़ के डजिटल लेनदेन का लक्ष्य हासलि करना है।

प्रमुख संशोधन

- इस मशिण को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।
- मशिण के उद्देश्यों में से 2017-18 में 2,500 करोड़ के डजिटल लेनदेन हासलि करने के लक्ष्य को हटा दिया गया है।
- इसके बाद, मशिण की रणनीतिको बदल दिया गया है (i) देश में डजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और (ii) डजिटल भुगतान स्वीकृत बिनयिादी ढाँचे में वृद्धि।

- डजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लयि कर प्रोत्साहन तैयार करने हेतु नए नीतिउपायों और हस्तक्षेप के प्रस्ताव को शामिल कयि जाएगा ।
- डजिटल भुगतान लेनदेन के जओ-टैगि द्वारा डजिटल भुगतान के क्षेत्रीय प्रवेश की नगिरानी के लयि तंत्र तैयार कयि जाएंगे ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/june-2018>

